मु .नं. 32/2021 कोवीदेवी बनाम भंवरराम वगेरह

21.10.024	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। अप्रार्थी संख्या 2 को जवाब हेतु अवसर देने बावजूद पेश नही किया अतः अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 को बार–बार आवाज लगाई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित जवाब देना नही चाहते है अतः अप्रार्थी संख्या 3 का जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा पांचला पटवार हल्का पांचला तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 462 रकबा 2.75 हैक्टयर आया हुआ है। जिसमें प्रार्थीया सहहिस्सेदार है। मौके पर हुए बंटवाड़े के अनुसार प्रार्थीया अपने हक हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीया के सहहिस्सेदार न होकर अपना राजनेतिक प्रभाव जमाकर प्रार्थीया के उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमदा है। अप्रार्थीगण को नही रोका गया तो जिससे प्रार्थीया अपने हक हिस्से से वंचित हो जाएगी। ऐसी सुरत में अप्रार्थीगण को मूलवाद ताफैसला तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्याय संगत है।
	हमनें वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा पांचला पटवार हल्का पांचला तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 462 रकबा 2.75 हैक्टयर कुल रकबा 4.64 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण [illegible] यथास्थित बनाए [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

(signature)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:11:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner